राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(02)ग्रावि/नरेगा/माद/57526/2015 जयपुर, दिनांक : 29 MAR 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त।

विषयः– **ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जारी मास्टर सर्कुलर 2016–17 के संबन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मास्टर सर्कुलर 2016–17 जारी किया गया है जो कि 01 अप्रैल, 2016 से लागू होगा। सर्कुलर की प्रति योजना की वैब साइट के होम पेज पर उपलब्ध है।

कृपया महात्मा गांधी नरेगा योजना से जुडे सभी कार्मिकों को अपने स्तर से निर्देश प्रदान करें कि उक्त सर्कुलर का अध्ययन करें ताकि योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जा सके। सर्कुलर में किये गये नये प्रावधान का विवरण संलग्न है।

भवदीय

28/3/16

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मास्टर सर्कयूलर 2016-17 में नये प्रावधान

मास्टर सर्कयुलर का बिन्दु संख्या	प्रावधान	पूर्व के प्रावधान
2.4.9	ग्राम सभा के अनुमोदन के उपरान्त कन्वर्जेन्स प्लान के आधार पर प्रस्तावित कार्य पंचायत समिति एवं जिला परिषद द्वारा अनुमोदन कराए जाकर बाद में पूरक कार्य योजना में सम्मिलित किये जा सकते है।	पूर्व में पूरक प्लान के संबन्ध में कोई प्रावधान नही था।
2.5.1.2	अन्य कार्यकारी संस्थाओं तथा ग्राम पंचायत को सम्मिलित करते हुए कराए गए समस्त कार्यो के लिए सामग्री मद पर व्यय जिसमें कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी भुगतान भी सम्मिलित है, जिला स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए।	पूर्व में जिला स्तर पर सामग्री मद में व्यय के संबन्ध में ग्राम पंचायत सम्मिलित नही था।
2.5.1.6 (आई)	उद्यानिकी एवं पौधारोपण के लिए व्यक्तिगत लाभ के कार्यो में पौधों का क्रय स्वयं लाभार्थी द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुमोदित दरों पर राजकीय नर्सरी अथवा प्राईवेट नर्सरी से क्रय किये जा सकते है।	पौधों का क्रय कार्यकारी संस्था द्वारा ही किया जाकर लाभार्थी के उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान था।
2.5.1.6 (जे)	व्यक्तिगत लाभार्थी की भूमि पर कराए जाने वाले कार्यो यथा फार्म पोण्ड, कुआं निर्माण, व्यक्तिगत शौचालय आदि के लिए सामग्री का क्रय लाभार्थी परिवार स्वयं के द्वारा सक्षम संस्था से स्वीकृत दरों पर किसी भी विक्रेता जिसके पास टिन नम्बर है, से किया जा सकता है।	सामग्री का क्रय संबन्धित कार्यकारी संस्था द्वारा ही किया जाकर लाभार्थी को उपलब्ध कराया जा सकता था।
2.5.2.1.6	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित गांवों में अनुसूचित जाति के परिवारों की भूमि पर व्यक्तिगत भूमि विकास के कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्राथमिकता से कराए जावे।	
2.5.2.8 (सी)	मानव संसाधन मंत्रालय की ''मध्यान्ह भोजन के राष्ट्रीय प्रोग्राम'' का महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ कन्वर्जेन्स कर विद्यालयों में रसोई घर एवं भोजन कक्ष का निर्माण।	पूर्व में अनुमत कार्यो की सूची में सम्मिलित नही।

E:\MUKESH VIJAYJI\Note\2015\Master Circular 10.03.2016.doc